न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 423 सन 2022

अनवान :–

1. मनोज कुमार पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. रणजीत सिह पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. कृष्ण गोदारा पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. विनोद गोदारा पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. संजय पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री प्रहलाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 2.2770हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व खाता संख्या 91/91 की कुल 0.7590हैक प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 92/92 की कुल 3.2890हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/13 हिससा व रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 82/83 की कुल 1.0120हैक प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 13 की कुल 3.2890हैक प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब खाता सख्या 141/141 की कुल 1.7710हैक में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के 1/7 , चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 90/78 की कुल 4.0480हैक में से प्रतिवादी सख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/16 हिस्सा , व खाता संख्या 91/91 की कुल 0.7590हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के पिता/चाचा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्हाने वाद भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसीअनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भानीराम वल्द चानणराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्हाने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 2.2770हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व खाता संख्या 91/91 की कुल 0.7590हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 92/92 की कुल 3.2890हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/13 हिससा व रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 82/83 की कुल 1.0120हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 13 की कुल 3.2890हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब खाता संख्या 141/141 की कुल 1.7710हैक्‍ में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के 1/7 , चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 90/78 की कुल 4.0480हैक्‍ में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/16 हिस्सा , व खाता संख्या 91/91 की कुल 0.7590हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के पिता/चाचा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भानीराम वल्द चानणराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्हाने वाद भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसीअनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 2.2770हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब व खाता संख्या 91/91 की कुल 0.7590हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 , खाता संख्या 92/92 की कुल 3.2890हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/13 हिससा व रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 82/83 की कुल 1.0120हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 13 की कुल 3.2890हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब खाता संख्या 141/141 की कुल 1.7710हैक्‍ में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रत्येक के 1/7 , चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 90/78 की कुल 4.0480हैक्‍ में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 3/16 हिस्सा , व खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुल (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

91/91 की कुल 0.7590हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज भानीराम वल्द चानणराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद सख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 74/77 के खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में रणजीत पुत्र भादर उर्फ भानीराम का नाम कलमलन किया जाकर प0 नं0 358/434 (69) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.2280 है0, 10 की 0.2530 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज की जावे व खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 82/83 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 120/120 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 351/435 (45) के किला नं. 16, 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 नं0 351/436 (46) के किला नं. 4, 5 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 351/436 (46) के किला नं. 6 7, 14 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 351/435 (45) के किला नं. 6, 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 141/141 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 90/78 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व 25 डीपीएन के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मनोज कुमार पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. रणजीत सिह पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. कृष्ण गोदारा पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. विनोद गोदारा पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. संजय पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री प्रहलाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 423 सन 2022 निर्णय दिनांक–12/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 74/77 के खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 2.2770 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में रणजीत पुत्र भादर उर्फ भानीराम का नाम कलमलन किया जाकर प0 नं0 358/434 (69) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 1/2 की 0.2280 है0, 10 की 0.2530 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादी सख्या 5 के नाम दर्ज की जावे व खाता सख्या 92/92 के कुल खसरे 19 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सख्या 5 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 82/83 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 120/120 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 3.2890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 351/435 (45) के किला नं. 16, 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 न0 351/436 (46) के किला नं. 4, 5 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे व प0 न0 351/436 (46) के किला नं. 6 7, 14 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 351/435 (45) के किला नं. 6, 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 141/141 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व रोही मौजा 25 डीपीएन के खाता संख्या 90/78 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 4.0480 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व 25 डीपीएन के खाता संख्या 91/91 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner